ग्राम पंचायत बिरला, तहसील व विकास खण्ड नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के अवधि 04/2023 से 03/2024 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

भाग–एक

1 प्रस्तावना

(क) ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव, पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006–12669 दिनाँक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओ के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत बिरला, तहसील व विकास खण्ड नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के अवधि 04/2023 से 03/2024 के लेखों का अंकेक्षण हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि 01/04/2023 से 31/03/2024 के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहेः–

प्रधानः–

क्र. सं.	नाम	अवधि
1	श्रीमती उषा रानी	01/04/2023 से 31/03/2024

सचिवः–

क्र. सं.	नाम	अवधि
1	श्री राजेश कुमार	01/04/2023 से 31/03/2024

तकनीकी सहायकः–

क्र. सं.	नाम	अवधि
1	श्री हीमांशु रमोल	01/04/2023 से 31/03/2024

ग्राम रोजगार सेवकः–

क्र. सं.	नाम	अवधि
1	श्री राकेश कुमार	01/04/2023 से 17/05/2024
2	श्रीमती संतोष	18/05/2023 से 19/11/2023

3	श्री राकेश कुमार	20/11/2023 से 03/03/2024
4	श्री अनिल कुमार	04/03/2024 से 31/03/2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :–

ग्राम पंचायत बिरला, तहसील व विकास खण्ड नाहन, जिला सिरमौर के अवधि 04/2023 से 03/2024 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:–

क्रम	**पैरा सं.**	**अनियमितता का संक्षिप्त सार**	**राशि (₹ लाखों में)**
1	4.2	रोकड़ बही व बैंक शेष में भारी अन्तर	3.26
2	4.3	रोकड बही का संधारण न करना	3.25
3	6.3	अनुदान उपयोग हेतु शेष	33.41
4	7.1	गृहकर राजस्व वसूली हेतु शेष	0.45
5	8.1	सामग्री की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि न करना	1.16
6	8.2	पारित आदेश (पे आर्डर) के बिना अनियमित भुगतान	1.15
7	9.1	निर्माण कार्यों के प्राक्कलन, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति व माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	5.32
8	9.2	आपूर्तिकर्ता के बिलों से रॉयल्टी की कटौती न करना	0.15
9	9.3	निर्माण सामग्री से वॉइड्स (Void) की कटौती न करना	0.10

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन:–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई के अवलोकन उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न तालिका में वर्णित है ।

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/19 से 03/21:–

क्र0 सं0	**पैरा सं0**	**नवीनतम स्थिति**	**विवरण**
1	3	निर्णीत	अंकेक्षण शुल्क की प्राप्ति की सम्बन्धित रजिस्टर में पुष्टि उपरान्त
2	4	अनिर्णीत	

3	5	निर्णीत	ई—ग्राम स्वराज पोर्टल पर रोकड बही के संधारण उपरान्त।
4	6	निर्णीत	ई—ग्राम स्वराज पोर्टल पर रोकड बही के संधारण उपरान्त।
5	7	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
6	8	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
7	9	अनिर्णीत	
8	10	अनिर्णीत	
9	11	निर्णीत	अपेक्षित कार्रवाई की समीक्षा उपरान्त।
10	12	अनिर्णीत	
11	13	अनिर्णीत	
12	14	निर्णीत	स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टियों की सत्यापना उपरान्त।
13	15	निर्णीत	अपेक्षित कार्रवाई की समीक्षा उपरान्त।
14	16	निर्णीत	अपेक्षित कार्रवाई की समीक्षा उपरान्त।
15	17	निर्णीत	दिनांक 31/03/24 को भौतिक सत्यापना उपरान्त।
16	18	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।

भाग—दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः—

ग्राम पंचायत बिरला, तहसील व विकास खण्ड नाहन, जिला—सिरमौर के अवधि 04/2023 से 03/2024 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री तरूण सैनी, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 09/09/2024 से 18/09/2024 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में निष्पादित किया गया। आय व व्यय की विस्तृत जांच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्वतः स्त्रोतों से आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गयाः—

वर्ष	आय	व्यय
2023—24	07/2023	07/2023

"वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी/सचिव द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत अथवा उपलब्ध ही न करवाये जाने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रकार के प्रभाव हेतु हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।"

3 अंकेक्षण शुल्कः—

ग्राम पंचायत बिरला, तहसील व विकास खण्ड—नाहन, जिला—सिरमौर के अवधि 04/2023 से 03/2024 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹4000 आंका गया। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को अंकेक्षण ज्ञापन सं0: 84 दिनांक 18/09/2024 द्वारा रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निंदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग, कसुम्पटी शिमला—171009 को यथाशीघ्र प्रेषित करने हेतु पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया जिसके प्रतिउत्तर में अपेक्षित कार्रवाई उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवाने का आश्वासन दिया।

4 वित्तीय स्थितिः—

4.1 सचिव, ग्राम पंचायत बिरला, तहसील व विकास खण्ड नाहन,,जिला—सिरमौर द्वारा प्रस्तुत सूचना/अभिलेखों के अनुसार ग्राम पंचायत की अवधि 01/04/2023 से 31/03/2024 तक की समेकित वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट—1** पर भी दिया गया है:—

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	ब्याज (₹)	कुल (₹)	व्यय (₹)	अन्त शेष (₹)
2023-24	4338619.92	4335332	129063	**8803014.92**	4074672	**4728342.92**
दिनांक 31.03.2024 को बैंक खातों अनुसार अन्तशेष **परिशिष्ट—2**						**4401946.22**
दिनांक 31.03.2024 को वित्तीय स्थिति/रोकड़ बही व बैंक खातों में अन्तर (₹4728342.92—₹4401946.22) **परिशिष्ट—2**						**326396.7**

4.2 ₹3.26 लाख की बैंक समाधान विवरणी प्रस्तुत न करनाः—

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) एंव 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करते हुए बैंक समाधान विवरणी को तैयार किया जाना अनिवार्य है। परन्तु पंचायत के लेखों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि दिनांक 31.03.24 को ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट—2** में वर्णित रोकड़ बही व बैंक शेषों में निम्न विवरणानुसार **₹326396.70** के कुल अन्तर की बैंक समाधान विवरणियाँ प्रस्तुत

नहीं की गई जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। परिणामस्वरूप किसी भी वित्तीय अनियमितता की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकताः–

क्र0सं0	योजना का नाम	अन्तर की राशि (₹)
1	सामान्य निधि / स्वः स्त्रोत / विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY) / मेंम्बर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरीया डेवलपमेंट स्कीम (MPLADS) / सेक्टोरल डीसेन्ट्रलाईज प्लॉनिंग (SDP) / मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना (MMGPY) / आपदा राहत कोष (CRF)	67147.7
2	14 वां वित्त आयोग (14th FC)	(-)12
3	पिछडा क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF)	154429
4	एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम (IWMP)	3502
5	राजीव आवास योजना / इंदिरा आवास योजना (RAY/AAY)	(-)129
6	स्वच्छ भारत मिशन (SBM)	22765
7	13 वां वित्त आयोग (13th FC)	54994
8	5 वां वित्त आयोग (5th SFC)	23700
	योग	**326396.70**

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 83 दिनांक 18/09/2024 का कोई प्रतिउत्तर अंकेक्षण समाप्ति तक भी प्राप्त नही हुआ। अतः उक्त भारी अन्तर की राशि की बैंक समाधान विवरणियाँ शीघ्र तैयार करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए । इसके अतिरिक्त यह गम्भीर मामला उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ उचित कार्यवाही हेतु भी लाया जाता है।

4.3 ₹3.25 लाख की राशि से सम्बन्धित रोकड बही का संधारण न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1) के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव प्रारूप–14 के अनुसार एक रोकड़ बही कर संधारण करेगा। रोकड़ बही में प्रविष्टियाँ लेन–देन की तिथि पर आय और व्यय के प्रत्येक मद के साथ–साथ की जाएँगी, जिसे प्रधान द्वारा विधिवत सत्यापित किया जाएगा। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि **परिशिष्ट–3** अनुसार वाटरशेड विकास निधि (WDF) से सम्बन्धित रोकड बहीयों का संधारण नहीं किया गया था जिन से सम्बन्धित बैंक खाते में दिनांक 31/03/2024 को **₹324944** की राशि शेष थी। इस बारे सचिव से अंकेक्षण ज्ञापन सं0: 83 दिनांक 18/09/2024 द्वारा वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः परामर्श दिया जाता है कि हि0प्र0 पंचायती राज विभाग के दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत अविलम्ब e-Gram Swaraj software में रोकड़ बही को तैयार व अद्यतन (Update) किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

4.4 पंचायत के स्वः–स्त्रोतों की आय–व्यय के लिये अलग रोकड बही का संचालन न करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1 व 2) में पंचायत द्वारा दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है, जिसमें से खाता 'क' में पंचायत के स्वयं संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता 'ख' में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है परन्तु ग्राम पंचायत के लेखों की जांच में पाया गया कि उपरोक्त नियम की अवहेलना करते हुये रोकड बही का स्वतन्त्र/पृथक रूप से संचालन नहीं किया गया था। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्याः 83 दिनांक 18/09/2024 द्वारा सचित को वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य हेतु नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5 सावधि जमा में निवेश न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार स्वः स्त्रोत निधि में अतिरिक्त राशि को सावधि जमा में निवेश किया जाना अपेक्षित है। सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत सूचना/अभिलेखों अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी राशि सावधि जमा में निवेश नहीं की गई थी। अंकेक्षण को प्रस्तुत सूचना तथा **परिशिष्ट–2** अनुसार ग्राम पंचायत के स्वः स्त्रोत खातों में दिनाँक 31.03.2024 को **₹1387111.92** की राशि शेष थी परन्तु सावधिक जमा में कोई भी राशि निवेश नहीं की गई थी। अतः सुझाव दिया जाता है कि स्वः स्त्रोत में आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को सावधिक जमा में निवेश किया जाए ताकि ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके।

6 अनुदान

6.1 प्राप्त सहायता अनुदान ₹9.06 लाख के स्वीकृति पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु जिम्मेदार है। ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार अवधि 01/04/2023 से 31/03/2024 तक निम्न विवरणानुसार **₹905917** की सहायता अनुदान राशि प्राप्त हुई थी परन्तु इन अनुदानों से सम्बन्धित स्वीकृति पत्रों को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जोकि अनियमित हैः–

क्र0सं0	योजना	वर्ष 2023–24 के दौरान प्राप्त राशि (₹)
1	15 वां वित्त आयोग (15th FC)	655917

2	विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)	50000
3	मेंम्बर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरीया डेवलपमेंट स्कीम (MPLADS)	100000
4	सेक्टोरल डीसेन्ट्रलाईज प्लॉनिंग (SDP)	100000
	कुल	**905917**

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 83 दिनांक 18/09/2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को यह अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। अतः इस सम्बन्ध में तथ्यों सहित उचित स्पष्टीकरण दिया जाए व अपेक्षित अभिलेख शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

6.2 अनुदान से ₹8.85 लाख के व्यय के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु जिम्मेदार है। ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई अनुदानों की विवरणी के अवलोकन पर पाया गया कि अवधि 01/04/2023 से 31/03/2024 तक निम्न विवरण अनुसार **₹884538** की अनुदान राशि का व्यय किया गया था परन्तु इससे सम्बन्धित आवश्यक उपयोगिता प्रमाण पत्रों को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त उपयोगिता प्रमाण पत्रों को सम्बन्धित संस्थाओं को प्रेषित किये जाने सम्बन्धित भी कोई अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जोकि उक्त नियम 2002 के नियम 88 की अवहेलना है :—

क्रम	**योजना**	**वर्ष 2023—24 के दौरान अनुदान से व्यय राशि (₹)**
1	15 वां वित्त आयोग (15th FC)	568039
2	विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)	100000
3	मेंम्बर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरीया डेवलपमेंट स्कीम (MPLADS)	117379
4	सेक्टोरल डीसेन्ट्रलाईज प्लॉनिंग (SDP)	99120
	कुल	**884538**

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 83 दिनांक 18/09/2024 जारी करके आवश्यक उपयोगिता प्रमाण पत्रों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया गया परन्तु सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण समाप्ति तक भी प्रस्तुत नहीं किए गए जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः इस सम्बन्ध में उचित स्पष्टीकरण दिया जाए व अपेक्षित अभिलेख शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

6.3 अनुदान राशि ₹33.41 लाख उपयोग हेतु शेषः—

सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट—1** पर प्रस्तुत सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत में विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों में से दिनांक 31.03.2024 को **₹3341231** की राशि उपयोग हेतु शेष थी जिसका विवरण निम्न तरलिकर में भी दिया गया है। इस राशि को हिमाचल प्रदेश

पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार फडिंग ऐजेन्सी के दिशा निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है:–

क्र0सं0	योजना	रोकड बही अनुसार दिनांक 31/3/2024 को अन्त भोश (₹)
1	14 वां वित्त आयोग (14th FC)	567
2	15 वां वित्त आयोग (15th FC)	2642084
3	विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)	224100
4	मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरीया डेवलपमेंट स्कीम (MPLADS)	119357
5	सेक्टोरल डीसेन्ट्रलाईज प्लॉनिंग (SDP)	880
6	पिछ्डा क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF)	155638
7	आपदा राहत कोष (CRF)	7968
8	एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम (IWMP)	3502
9	मुख्यमंत्रा ग्राम पथ योजना (MMGPY)	950
10	राजीव आवास योजना/इंदिरा आवाय योजना (RAY/AAY)	592
11	स्वच्छ भारत मिशन (SBM)	22765
12	13 वां वित्त आयोग (13th FC)	139128
13	5 वां वित्त आयोग (5th SFC)	23700
	कुल	3341231

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 83 दिनांक 18/09/2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक भी कोई प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः जिन अनुदानों की विहित अवधि समाप्त हो चुकी है उनके सन्दर्भ में उचित स्पष्टीकरण दिया जाए तथा अवधि बढ़ौतरी की सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करके व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

7 पंचायत राजस्व/स्वः स्त्रोत

7.1 गृहकर राजस्व ₹0.45 लाख वसूली हेतु शेष :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 34 (2) के अनुसार पंचायत को कोई भी देय राशि पर्याप्त कारणों के बिना बकाया नहीं रखी जा सकती। सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों व **परिशिष्ट–4** के अवलोकन करने पर पाया गया कि दिनांक 31/03/2024 तक पंचायत की गृहकर राजस्व राशि **₹45450** वसूली हेतु शेष थी। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 83 दिनांक 18/09/2024 द्वारा वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी उचित उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली शीघ्र सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.2 ₹0.04 लाख विवाह पंजीकरण फीस को राजकीय कोष में जमा न करना:–

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्या–SJE-A-A(3)-1/2015 दिनाँक 04/10/16 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क प्राप्त किए जाने का प्रावधान है तथा हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त विवाह रजिस्ट्रेशन फीस को राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0070–60–108–01 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण अवधि 04/23 से 03/24 के दौरान **परिशिष्ट–5** अनुसार **₹4150** विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त हुए थे जिसे राजकीय कोष में जमा नहीं करवाया गया था। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 83 दिनांक 18/09/2024 द्वारा वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी उचित उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः उपरोक्त राशि को सरकारी कोष में जमा न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अब इस राशि को सम्बन्धित कोष में जमा करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8 व्यय

8.1 ₹1.16 लाख की क्रय की गई सामग्री की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि न करना:–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 व 72 के अन्तर्गत स्टॉक/स्टोर के क्रय सम्बन्धी औपचारिकताएं प्रावधित है। उक्त नियम के दृष्टिगत ग्राम पंचायत द्वारा क्रय की गई सामग्री की मात्रा, गुणवता की जाँच करने के उपरान्त अनिवार्य रूप से फार्म 25 से 28 के अनुरूप स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि की जानी अपेक्षित है तथा यह भी प्रमाणित किया जाना अपेक्षित है कि स्टॉक/सामग्री को सही अवस्था में प्राप्त किया गया है। अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न तालिका में दर्ज विवरणानुसार **₹116232** के स्टॉक/स्टोर की सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किए बिना ही प्रयोग किया गया था।

क्रम संख्या	योजना	वाउचर संख्या/ दिनांक	बिल संख्या/ दिनांक	आपूर्तिकर्ता	विवरण	राशि (₹)
1	15वां वित्त आयोग	XVFC/2023-24/P/12 06-07-2023	394/ 14–02–23	हि०प्र० राज्य नागरिक आपूर्ति निगम	नि० पेयजल टैंक ठन्डोली, 100 बैग सिमेंट का भुगतान	39401
2	15वां वित्त आयोग	XVFC/2023-24/P/14 06/07/2023	393/ 14–02–23	हि०प्र० राज्य नागरिक आपूर्ति निगम	नि० पेयजल टैंक ठन्डोली, 150 बैग सिमेंट का भुगतान	59101

3	15वां वित्त आयोग	XVFC/2023-24/P/15 06/07/2023	395 / 14–02–23	हि0प्र0 राज्य नागरिक आपूर्ति निगम	नि0 सामुदायिक शौचालय कन्नीधार, 45 बैग सिमेंट का भुगतान	17730
					कुल	**116232**

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 83 दिनांक 18/09/2024 द्वारा सचिव को वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः उक्त अनियमितता बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए तथा विवरण में दर्शाई प्रत्येक सामग्री को सम्बन्धित भण्डार रजिस्टर में दर्ज करके प्रधान द्वारा सत्यापित करवाया जाए। इसके अतिरिक्त सामग्री की खपत विवरणी तैयार करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

8.2 पारित आदेश (पे आर्डर) के बिना ₹1.15 लाख का अनियमित भुगतान :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 49 के अनुसार किसी भी प्रकार का भुगतान पारित आदेश (पे आर्डर) के बिना नहीं किया जाएगा। परन्तु ग्राम पंचायत के व्यय वाउचरों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा उपरोक्त नियम की अनुपालना नहीं की जा रही थी क्योंकि निम्न तालिका में दर्ज विवरणानुसार **₹114545** के व्यय वाउचर पर प्रधान व सचिव द्वारा पारित आदेश (पे आर्डर) अंकित नही किए गए थे जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र0सं0	योजना	कार्य का नाम	मस्ट्रोल संख्या / दिनांक	राशि (₹)
1	मनरेगा	नि0 भूमि सुधार कार्य श्री माहन सिंह पुत्र श्री पृथ्वी सिंह ग्राम बिरला	2507 / 07–07–23	1881
2	मनरेगा	नि0 गोशाला श्री नरपत सिंह पुत्र श्री संत राम	2035 / 07–07–23	9616
3	मनरेगा	नि0 भूमि सुधार श्री दुर्गा राम पुत्र श्री उदय राम	2037 / 07–07–23	21280
			2157 / 20–07–23	2927
4	मनरेगा	नि0 भूमि सुधार श्री बलिन्द्र सिंह पुत्र कान्ती राम	2158 / 20–07–23	13167
			2158 / 20–07–23	1463
5	मनरेगा	नि0 अमृत सरोवर तिरामली	2074 / 07–07–23	23520
			2075 / 07–07–23	9408
			2160 / 19–07–23	22331
			2161 / 19–07–23	8952
			कुल	**114545**

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 83 दिनांक 18/09/2024 द्वारा सचिव को वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः पंचायत अपने स्तर पर छानबीन उपरान्त उपरोक्त बारे स्थिति स्पष्ट करे तथा उचित कार्यवाही उपरान्त अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित करे।

8.3 संविदाकर के भुगतान बिलों से नियमानुसार स्त्रोत पर ₹1268 आयकर की कटौती न करना:—

आयकर अधिनियम की धारा 194C के अनुसार किसी भी व्यक्ति/फर्म/संस्था अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Government deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति (Contractor), फर्म को सेवाएं प्रदान करने के बदले एक बार/एकमुश्त ₹30000 से अधिक व एक वितीय वर्ष में ₹100000 से अधिक राशि के भुगतान पर न व्यक्ति व एचयूएफ (Person/HUF) से 1% की दर से तथा अन्य (Other than Person or HUF) से 2% की दर से आयकर की कटौती सम्बन्धित व्यक्ति/फर्म/संविदाकार को नगद अथवा बैक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है, जोकि नहीं की गई प्रतीत होती है। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न सेवाओं हेतु सम्बन्धित व्यक्ति/फर्म/संविदाकार से अपेक्षित टी0डी0एस कटौती राशि **₹1268** का विवरण निम्न तालिका में दर्ज है।

क्रम सं0	योजना	वाउचर संख्या/ दिनांक	बिल संख्या/ दिनांक	आपूर्तिकर्ता	विवरण	बिल राशि (बिना जी0एस0टी) (₹)	टी0डी0 एस दर	टी0डी0 एस राशि (₹)
1	सेक्टोरल डिसेन्ट्रलिजैशन प्लान	SDP/2023-24/P/1 21-07-2024	309/ 29—04—23	श्री हेमन्त कुमार	नि0 एबुलेन्स रोड जोगया से धाबुली, जे0सी0बी कार्य का भुगतान	42000	1%	420
			310/ 04—05—24			42000	1%	420
2	विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना	VKVNY/2023-24/P/2 21-07-2024	308/ 23—04—23	श्री हेमन्त कुमार	नि0 अधुरा लिंक रोड भाम्भी बनोत से रणजीत सिंह, जय प्रकाश के घर तक, जे0सी0बी कार्य का भुगतान	42750	1%	428
					कुल			1268

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 83 दिनांक 18/09/2024 द्वारा सचिव को वस्तुस्थिति से अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः आयकर टी0डी0एस कटौती/वसूली न करने का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा उक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करते हुए सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.4 स्वः स्त्रोत से प्राप्त ₹0.19 लाख आय को बैक खाते में जमा करवाये बिना ही व्यय करनाः—

हि0प्र0 पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते} नियम 2002 के नियम 6(3) के प्रावधानानुसार पंचायत को सभी प्राप्तियों को खाते में जमा तथा सभी प्रकार के भुगतान को खाते से किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान रोकड बही की जाँच में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा स्वः स्त्रोत निधि से वर्ष 2023—24 के दौरान निम्न तालिका अनुसार प्राप्त **₹19144** आय को बैंक में जमा करवाये बिना ही व्यय किया गया था जोकि अनियमित है।

क्र0सं0	दिनांक	वाउचर संख्या	विवरण	राशि (₹)
1	23/05/2023	OWN/2023-24/P/1	कार्यालय व्यय— इन्टरनेट बिल	3166
2	23/05/2023	OWN/2023-24/P/2	कार्यालय व्यय— स्टेश्नरी	1300
3	02/07/2023	OWN/2023-24/P/4	कार्यालय व्यय— स्टेश्नरी	510
4	21/07/2023	OWN/2023-24/P/9	कार्यालय व्यय— बिजली बिल	1289
5	21/07/2023	OWN/2023-24/P/10	कार्यालय व्यय	220
6	25/08/2023	OWN/2023-24/P/11	कार्यालय व्यय— जलपान व्यय	1400
7	25/09/2023	OWN/2023-24/P/12	कार्यालय व्यय— जलपान व्यय	4950
8	27/03/2024	OWN/2023-24/P/20	कार्यालय व्यय— बिजली बिल	1809
9	27/03/2024	OWN/2023-24/P/21	कार्यालय व्यय— लैपटॉप रिपेयर	2000
10	27/03/2024	OWN/2023-24/P/22	कार्यालय व्यय— जलपान व्यय	2500
			कुल	**19144**

इस बारे अंकेक्षण ज्ञापन सं0: 83 दिनांक 18/09/2024 द्वारा सचिव को उचित स्पष्टिकरण से अंकेक्षण को अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य हेतु नियमानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9 निर्माण कार्यः—

9.1 ₹5.32 लाख के निर्माण कार्यों के प्राक्कलन, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति व माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में प्रस्तुत न करनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु जिम्मेदार होगा। परन्तु व्यय वाउचरों के अंकेक्षण करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा नियम 94, 95 व 101 के अन्तर्गत अपेक्षित अभिलेख जैसे निर्माण कार्यों के प्राक्कलन, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति व माप पुस्तिकाएं इत्यादि अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जिसके कारण

निम्न तालिका में वर्णित निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु किये गये **₹531546** के भुगतान को अंकेक्षण में सत्यापित नहीं किया जा सका जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र0सं0	योजना	वाउचर संख्या / दिनांक	बिल संख्या / दिनांक	आपूर्तिकर्ता	विवरण	राशि (₹)	अभिलेख जो प्रस्तुत नहीं किए
1	15वां वित्त आयोग	XVFC/2023-24/P/9 02-07-2024	03 / 02–06–23	मनोज ट्रेडींग कम्पनी	नि0 गिरावटी पेयजल योजना नम्बरदार बस्ती तिरमली, पाईप, सॉकेट, आदि का भुगतान	116431	प्राक्कलन, तकनीकी, प्रशानिक स्वीकृती व माप पुस्तिका
2	15वां वित्त आयोग	XVFC/2023-24/P/12 06-07-2023	394 / 14–02–23	हि0प्र0 राज्य नागरिक आपूर्ति निगम	नि0 पेयजल टैंक ठन्डोली, सिमेंट का भुगतान	39401	प्राक्कलन, तकनीकी, प्रशानिक स्वीकृती व माप पुस्तिका
3	15वां वित्त आयोग	XVFC/2023-24/P/13 06-07-2023	04 / 02–06–23	मनोज ट्रेडींग कम्पनी	नि0 पेयजल पाईप लाईन बनोहत, पाईप, सॉकेट, आदि का भुगतान	149763	प्राक्कलन, तकनीकी, प्रशानिक स्वीकृती व माप पुस्तिका
4	15वां वित्त आयोग	XVFC/2023-24/P/14 06/07/2023	393 / 14–02–23	हि0प्र0 राज्य नागरिक आपूर्ति निगम	नि0 पेयजल टैंक ठन्डोली, सिमेंट का भुगतान	59101	प्राक्कलन, तकनीकी, प्रशानिक स्वीकृती व माप पुस्तिका
5	15वां वित्त आयोग	XVFC/2023-24/P/15 06/07/2023	395 / 14–02–23	हि0प्र0 राज्य नागरिक आपूर्ति निगम	नि0 सामुदायिक शौचालय कन्नीधार, सिमेंट का भुगतान	17730	माप पुस्तिका
6	सेक्टोरल डिसेन्ट्रलिजैशन प्लान	SDP/2023-24/P/1 21-07-2024	309 / 29–04–23	श्री हेमन्त कुमार	नि0 एबुलेन्स रोड जोगया से धाबुली, जे0सी0बी कार्य का भुगतान	49560	प्राक्कलन, तकनीकी व प्रशानिक स्वीकृती
			310 / 04–05–24			49560	प्राक्कलन, तकनीकी व प्रशानिक स्वीकृती
7	विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना	VKVNY/2023-24/P/2 21-07-2024	308 / 23–04–23	श्री हेमन्त कुमार	नि0 अधूरा लिंक रोड भाम्भी बनोत से रणजीत सिंह, जय प्रकाश के घर तक, जे0सी0बी कार्य का भुगतान	50000	प्राक्कलन, तकनीकी व प्रशानिक स्वीकृती
					कुल	531546	

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 83 दिनांक 18/09/2024 जारी करके आवश्यक अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया गया परन्तु सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण समाप्ति तक भी प्रस्तुत नहीं किए गए जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः इस

सम्बन्ध में उचित स्पष्टीकरण दिया जाए व अपेक्षित अभिलेख शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

9.2 आपूर्तिकर्ता के बिलों से रॉयल्टी ₹0.15 लाख की कटौती न करनाः—

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81—ए के अनुसार ठेकेदार/विक्रेता द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर फार्म 'एक्स' या 'डब्ल्यू प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा उसे रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी के साथ करना होगा। परन्तु निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या एक्स.ई.एन.—(आर.डी. एवं पी.आर.)—डी.बी. जनरल/2023—1/204192/2023—34307—30, दिनांक 2.11.2023 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश आदेशों की अनुपालना में अब ठेकेदार/विक्रेता से खनन सामग्री की आपूर्ति पर रॉयल्टी की कटौती नहीं की जायेगी तथा आपूर्ति हेतु भुगतान उनके द्वारा फार्म 'एक्स' या 'डब्ल्यू' प्रस्तुत करने पर ही किया जायेगा।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री जैसे पत्थर, रेत, बजरी इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को निम्न तालिका अनुसार **₹14930** का अनियमित भुगतान किया गया।

क्र0सं0	योजना	वाउचर संख्या/ दिनांक	बिल संख्या/ दिनांक	आपूर्तिकर्ता	कार्य का नाम	सामग्री	दर (₹)	मात्रा क्यु0मी	कनवर्जन फैक्टर	मात्रा टनों में	रॉयल्टी दर (₹)	देय रॉयल्टी (₹)
1	15वां वित्त आयोग	XVFC/2023-24/P/10 02-07-2024	07/ 12—05—23	श्री विजय पाल	नि0पक्का रास्ता मेन रोड से भारद्वाज बस्ती	पत्थर	950	16	2.24	35.84	80	2867
						बजरी	1900	5	1.46	7.3	80	584
						रेत	1900	10	1.6	16	80	1280
			09/ 15—05—23			बजरी	1900	16	1.46	23.36	80	1869
						रेत	1900	8	1.6	12.8	80	1024
2	15वां वित्त आयोग	XVFC/2023-24/P/11 02-07-2024	06/ 10—05—23	श्री विजय पाल	नि0पक्का फुटपाथ मेन रोड धाबुडी से माराजा झंडा जी	पत्थर	950	12	2.24	26.88	80	2150
						बजरी	1900	12	1.46	17.52	80	1402
						रेत	1900	6	1.6	9.6	80	768
	कुल											**11944**
	+25% पेनल्टी											**2986**
	कुल योग											**14930**

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 83 दिनांक 18/09/2024 का कोई भी प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः **₹14930** की रॉयल्टी की कटौती न करके किये गये अनियमित भुगतान से सम्बन्धित मामला जिला के खनन अधिकारी से उठाया जाए व तदानुसार इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके हिमाचल प्रदेश सरकार के आय लेखा शीर्षकः "0853-Non Ferrous Mining and Metallurgical Industries, 102-Mineral Concession Fees and Royalties, 81-Other receipts" में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9.3 निर्माण सामग्री से ₹0.10 लाख के वॉइड्स (Voids) की कटौती न करना:—

हि0प्र0 पब्लिक वर्कस स्पेसिफिकेशन 2.1.2.13 के अनुसार बजरी की आपूर्ति पर 6 एम0एम0 से लेकर 20 एम0एम0 तक 5% व 25 एम0एम0 से लेकर 40 एम0एम0 तक 10% तथा पत्थरों की आपूर्ति पर 63 एम0एम0 से लेकर 75 एम0एम0 तक 12.5% की दर से वॉइड्स (Voids) की कटौती उपरान्त भुगतान किया जाना अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान चयनित मासों में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यो हेतु क्रय की गई निर्माण सामग्री की मात्रा से निर्धारित दर से वॉइड्स (Voids) की कटौती नहीं की गई थी जिस कारण आपूर्तिकर्ता को निम्न तालिका अनुसार **₹10075** का अधिक भुगतान किया गया जोकि अनियमित है।

क्र0 सं0	योजना	वाउचर संख्या/ दिनांक	बिल संख्या/ दिनांक	आपूर्तिकर्ता	कार्य का नाम	सामग्री	मात्रा क्यु0मी	दर (₹)	जी0ए स0 टी दर	कटौति दर	अपेक्षित कटौति मात्रा (क्यु0मी)	कटौति राशि (₹)
1	15वां वित्त आयोग	XVFC/2023-24/P/10 02-07-2024	07/ 12—05—23	श्री विजय पाल	नि0पक्का रास्ता मेन रोड से भारद्वाज बस्ती	पत्थर	16	950	5%	12.50%	2	1995
						बजरी	5	1900	5%	10.00%	0.5	998
			09/ 15—05—23			बजरी	16	1900	5%	10.00%	1.6	3192
2	15वां वित्त आयोग	XVFC/2023-24/P/11 02-07-2024	06/ 10—05—23	श्री विजय पाल	नि0पक्का फुटपाथ मेन रोड धाबुडी से माराजा झंडा जी	पत्थर	12	950	5%	12.50%	1.5	1496
						बजरी	12	1900	5%	10.00%	1.2	2394
						कुल						**10075**

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 83 दिनांक 18/09/2024 का कोई भी प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः वाइड्स (Voids) की कटौती न करने को तथ्यों सहित न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके पंचायत निधि में जमा करवाई जाये एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10 अभिलेख का अनुरक्षण न करना

10.1 ई–ग्रामस्वराज पोर्टल में चल–अचल सम्पत्तियों का विवरण प्रस्तुत न करनाः–

ई–ग्रामस्वराज पोर्टल पर पंचायत द्वारा सभी चल–अचल सम्पत्तियों को दर्शाया जाना अनिवार्य है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ई–ग्रामस्वराज पोर्टल में पंचायत द्वारा अर्जित/निर्मित सम्पत्तियों के ईन्द्राज से सम्बन्धित विवरण अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस बारे अंकेक्षण ज्ञापन सं0: 83 दिनांक 18/09/2024 जारी करके सचिव को सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया गया था परन्तु सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण समाप्ति तक भी प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः उक्त पोर्टल पर में पंचायत की चल–अचल सम्पति का ईन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10.2 विहित रजिस्टर/अभिलेख को प्रस्तुत न करनाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 व हि0प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टर/अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक हैः–

क्र. सं.	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002			
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	मासिक बैंक समाधान विवरणी	5	15(1)
3	वर्गीकृत सार	8	29(4)
4	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
5	बजट प्राक्कलन	11	37
6	बिल रजिस्टर	13	48
7	डाक टिकट रजिस्टर	24	61 (2)
8	खाता बही	29	7
9	तकनीकी जाँच व तकनीकी स्वीकृति एस्टीमेट रजिस्टर	31	95 (1)
10	दुकान किराया व गृहकर मांग व प्राप्ति रजिस्टर	33	10
हि0प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997			
1	रसीद बुक स्टॉक रजिस्टर	2	34

2	विकास कार्य निष्पादन रजिस्टर	7	34
3	अनुदान रजिस्टर	8	34
4	अचल सम्पत्ति रजिस्टर	11	34

इस बारे अंकेक्षण ज्ञापन सं0: 83 दिनांक 18/09/2024 जारी करके सचिव को सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया गया था परन्तु सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण समाप्ति तक भी प्रस्तुत नहीं किए गए जोकि आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार अभिलेखों व रजिस्टरों का रख–रखाव सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10.3 मनरेगा के अन्तर्गत विहित रजिस्टर का अद्यतन न करना :–

मनरेगा अधिनियम, 2005 के अंतर्गत निर्धारित रजिस्टरों का सही ढंग से रख–रखाव नहीं किया गया था। उपरोक्त अधिनियम के तहत सात रजिस्टरों का संधारण किया जाना अनिवार्य है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न तालिका में वर्णन अनुसार सम्बन्धित रजिस्टरों का अद्यतन नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है:–

रजिस्टर संख्या	रजिस्टर का विवरण	अद्यतन की तिथि
रजिस्टर संख्या– I	Job Card Application, Job Card Registration, Job Card Issuance, Domestic Employment Report	24/03/2017
रजिस्टर संख्या– II	Gram Sabha (Meeting) – Minutes, Resolutions and Priority List of Work, Special Social Audit Gram Sabha (Meeting) – Minutes, Resolutions and Action Taken	रजिस्टर अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।
रजिस्टर संख्या– III	Demand for work, Allocation of work, Registration of payment of wages	रजिस्टर अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।
रजिस्टर संख्या– IV	Register for work	31/03/2023
रजिस्टर संख्या– V	Fixed Asset Register	रजिस्टर अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।
रजिस्टर संख्या– VI	Registration of complaints	रजिस्टर अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।
रजिस्टर संख्या– VII	Material Register	2018–19

इस बारे अंकेक्षण ज्ञापन सं0: 83 दिनांक 18/09/2024 द्वारा सचिव को उचित स्पष्टीकरण से अंकेक्षण को अवगत करवाने हेतु आग्रह किया गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में सम्बन्धित

रजिस्टरों का अद्यतन सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11 **लघु आपति विवरणिकाः**—लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका को अलग से जारी नहीं किया गया है।

12 **निष्कर्ष** :— ग्राम पंचायत के लेखों के रख—रखाव में उक्त अनुच्छेदों/पैरों में वर्णित आपत्तियों के अनुसार सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

O/c

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला—171009
दूरभाष—0177—2620046

5711-5715 26 NOV 2024

पृष्ठांकन संख्याः— फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(10) 53/2021 खण्ड—1 दिनांक शिमला—09

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला—4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, सिरमौर, जिला सिरमौर, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नाहन, जिला सिरमौर, हि0प्र0।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत बिरला, विकास खण्ड नाहन, जिला सिरमौर हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

26 NOV 2024

O/c

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला—171009
दूरभाष—0177—2620046

परिशिष्ट-1.

ग्राम पंचायत बिरला, डा0 ददाहू, तहसील व विकास खण्ड नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश, पिन कोड–173022 की वर्ष 2023–24 की समेकित वित्तीय स्थिति

वर्ष	प्रारंभिक शेष (₹)	वर्ष के दौरान प्राप्तियां (₹)	वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज (₹)	कुल (₹)	वर्ष के दौरान व्यय (₹)	अन्त शेष (₹)
2023-24	4338619.92	4335332	129063	**8803014.92**	4074672	**4728342.92**

ग्राम पंचायत बिरला, डा0 ददाहू, तहसील व विकास खण्ड नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश, पिन कोड–173022 की वर्ष 2023–24 की योजनावार वित्तीय स्थिति

योजना	प्रारंभिक शेष (₹)	वर्ष के दौरान प्राप्तियां (₹)	वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज (₹)	कुल (₹)	वर्ष के दौरान व्यय (₹)	अन्त शेष (₹)
सामान्य निधि/ स्व: स्रोत (OWN/General)	1091300.92	1066700	56530	**2214530.92**	827419	**1387111.92**
14वां वित्त आयोग (14th FC)	119	0	448	**567**	0	**567**
15वां वित्त आयोग (15th FC)	2482121	655917	72085	**3210123**	568039	**2642084**
विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)	274100	50000	0	**324100**	100000	**224100**
संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS)	136736	100000	0	**236736**	117379	**119357**
सेक्टोरल डिसेन्ट्रलिज़ैशन प्लान (SDP)	0	100000	0	**100000**	99120	**880**
पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF)	155638	0	0	**155638**	0	**155638**
आपदा राहत कोष (CRF)	7968	0	0	**7968**	0	**7968**
एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम (IWMP)	3502	0	0	**3502**	0	**3502**
मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना (MMGPY)	950	0	0	**950**	0	**950**
राजीव आवास योजना/इंदिरा आवास योजना (RAY/AAY)	592	0	0	**592**	0	**592**
स्वच्छ भारत मिशन (SBM)	22765	0	0	**22765**	0	**22765**
13वां वित्त आयोग (13th FC)	139128	0	0	**139128**	0	**139128**
5वां राज्य वित आयोग(5th SFC)	23700	0	0	**23700**	0	**23700**
मनरेगा	0	2362715	0	**2362715**	2362715	**0**
कुल	**4338619.92**	**4335332**	**129063**	**8803014.92**	**4074672**	**4728342.92**

सचिव Rajesh
ग्राम पंचायत बिरला
विकास खण्ड नाहन
जिला सिरमौर (हि०प्र०)

परिशिष्ट -2

ग्राम पंचायत बिरला, डा0 ददाहू, तहसील व विकास खण्ड नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश, पिन कोड–173022 में दिनांक 31/03/2024 को रोकड बही व बैंक में अन्तर का विवरण

योजना	बैंक	खाता सं0	रोकड बही अनुसार दिनांक 31/3/2024 को अन्त शेष (₹)	बैंक अनुसार दिनांक 31/3/2024 को अन्त शेष (₹)	अन्तर (₹)
सामान्य निधि/ स्व: स्त्रोत (OWN/General)	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, नाहन	5590100274	1387111.92	912987.22	
विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना (VKVNY)		5590100217	224100	760232	
संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS)			119357		
सेक्टोरल डिसेन्ट्रलिज़ैशन प्लान (SDP)			880		
मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना (MMGPY)			950		
आपदा राहत कोष (CRF)			7968		
		कुल	**1740366.92**	**1673219.22**	**67147.7**
14वां वित्त आयोग (14th FC)	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, नाहन	55910117762	**567**	579	-12
15वां वित्त आयोग (15th FC)	एक्सिस बैंक, नाहन	920010039398774	**2642084**	2642084	0
पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF)	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, नाहन	55910111048	**155638**	1209	154429
एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम (IWMP)	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, ददाहू	55310107410	**3502**	0	3502
राजीव आवास योजना/इंदिरा आवास योजना (RAY/AAY)	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, नाहन	5590100284	**592**	721	-129
स्वच्छ भारत मिशन (SBM)	आई० डी० बी० आई बैंक, नाहन	1933104000025530	**22765**	0	22765
13वां वित्त आयोग (13th FC)	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, नाहन	55910115398	**139128**	84134	54994
5वां राज्य वित्त आयोग(5th SFC)	बैंक खाता संख्या ज्ञात नहीं		**23700**	0	23700
		कुल योग	**4728342.92**	**4401946.22**	**326396.7**

सचिव
ग्राम पंचायत बिरला
विकास खण्ड नाहन
जिला सिरमौर (हि०प्र०)

परिशिष्ट-3

ग्राम पंचायत बिरला, डा0 ददाहू, तहसील व विकास खण्ड नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश, पिन कोड–173022की योजनाएं जिसका संधारण ऑनलाईन नहीं किया जा रहा है उन योजनाओं में दिनांक 31/03/2024 को अन्तशेष का विवरण

योजना	बैंक	खाता सं0	बैंक अनुसार दिनांक 31/3/2024 को अन्त शेष (₹)
वाटरशेड विकास निधि (WDF)	हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक, ददाहू	55310108304	324944

सचिव Rajesh
ग्राम पंचायत बिरला
विकास खण्ड नाहन
जिला सिरमौर (हि0प्र0)

परिशिष्ट - 4

ग्राम पंचायत बिरला, डा0 ददाहू, तहसील व विकास खण्ड नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश, पिन कोड—173022

दिनांक 31/03/2024 को गृहकर वसूली सम्बन्धी सूचना—

वर्ष 2023—24 के दौरान परिवारों की सं0— 570

वर्ष 2023—24 के दौरान गृहकर की दर— 50 ₹ /परिवार

वर्ष	आरंभिक शेष (₹)	वर्ष के दौरान मांग (₹)	कुल (₹)	प्राप्ति (₹)	अन्त शेष (₹)
2023—24	17050	28500	45550	100	45450

सचिव

ग्राम पंचायत बिरला

विकास खण्ड नाहन

जिला सिरमौर (हि0प्र0)

परिशिष्ट - 5

विवाह पंजीकरण रिपोर्ट ग्राम पंचायत बिरला 01/04/2023 से 31/03/2024

क्रम संख्या	कुल पंजीकृत विवाह	प्राप्त विवाह पंजीकरण शुल्क
1	18	4150

सचिव Rajesh
ग्राम पंचायत बिरला
विकास खण्ड नाहन
जिला सिरमौर (हि०प्र०)

23